

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :- अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 84/2018

जीसीएमएस : 2018/00270

1. सोहनसिंह पुत्र निरजंन सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. रणवीरसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. प्रदीपसिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुरमीतसिंह पुत्र सतवंत सिंह } जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील
5. प्रभजोत सिंह पुत्र सतवंत सिंह } रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. दलजीत कौर पत्नी सतवंत सिंह } जरिये मुखत्यार आम रणवीरसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:वादीगण

बनाम

- 1: इकबालसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0 जरिए मुखत्यार आम रणवीर कौर पत्नी परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी कोटा राज0
2. हरपालकौर पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0(विलोपित)
3. सतविन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53-88-92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

1. श्री प्रीतम सिंह गिल, वकील वादीगण
2. श्री जितेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रतिवादी सं. 1-3

—: निर्णय :-

दिनांक : 31.03.2021.

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 103 में प.नं. 196/287 मु.नं. 11 की 5.060 है. नहरी मय खाला, प.नं. 197/287 मु.नं. 12 की 1.645 है. नहरी, प.नं. 199/287 मु.नं. 14 की 6.200 है. नहरी मय खाला कुल खाता योग 12.905 है. नहरी मय खाला खातेदारी में वादी सोहन सिंह की 3.226 है., प्रतिवादी सतविन्द्र सिंह की 2.530 है., प्रतिवादी इकबाल सिंह 2.420 है., प्रतिवादीया हरपालकौर 0.807 है., वादी रणवीर सिंह 1.184 है., वादीया दलजीत कौर की 0.601 है. व वादीगण गुरमीत सिंह - प्रभजोतसिंह 1.088 है. ब.हि.ब. एवं वादीगण गुरमीतसिंह, प्रभजोत सिंह व प्रदीपसिंह की दादी मृतका नसीबकौर पत्नी सरवन सिंह की 1.089 है. कृषि भूमि खातेदारी हैं। नसीब कौर ने उक्त खाता की अपनी खातेदारी 1.089 है. भूमि में से 1/2 भाग यानि 0.545 है. व वसीयत अपने पोतों वादीगण गुरमीत सिंह-प्रभजोत सिंह पुत्रगण सतवन्त सिंह के पक्ष में व शेष 0.544 है. कृषि भूमि की वसीयत अपने पोते वादी प्रदीप सिंह पुत्र रणवीरसिंह के पक्ष में अपने जीवनकाल में निष्पादित करवाई जो नसीब कौर की मृत्यु से प्रभावशाली होकर लागू होने से वसीयतन उतराधिकारी की हैसियत से उक्त रकबा पर वादीगण गुरमीत सिंह प्रभजोत सिंह व प्रदीप सिंह हर प्रकार से अधिकार प्राप्त होने से अपने अपने भाग पर खातेदारी अधिकारों व हक हकूक

उपखण्ड अधिकारी

घोषित करवा पाने के कानूनन अधिकारी हैं। विवादित रकबा का पक्षकारान के मध्य संयुक्त रूप से काशत करना संभव नहीं रहने एवं लगान कर आदि की अदायगी को लेकर व अन्य छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़े का भय बने रहने आदि परिस्थितियों के मध्यनजर काफी सालों पूर्व अपने अपने भाग अनुसार घरेलू तौर से बाहमी बंटवारा किया गया। वादीगण बाहमी बंटवारा होने के पश्चात प्रतिवादीगण से निरन्तर अनुरोध करते रहे कि बाहमी बंटवारा को स्वीकारते हुए कब्जा काशत व बंटवारा अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करवाते हुये अपने पने खाता अलग करवाने व वसीयत अनुसार खातेदारी अधिकारों को स्वीकारते हुए रिकार्ड में अमलदरामद करवाने की कार्यवाही में सहयोग देवें तो प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 27.05.2018को बमुकाम 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर में प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार बेदखल करने की धमकी दी यही तीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखारमत हैं। वादी वादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि का वाद पत्र में अंकित बाहमी बंटवारा अनुसार अनुसार खाताविभाजन एवं नसीब कौर की 1.089है. रकबा पर वादीगण गुरमीतसिंह प्रभाजोत सिंह प्रदीप सिंह के वसीयतन अधिकार की हैसियत से खातेदारी हक अधिकार घोषित करने की डिक्री पारित करने एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 को दिनांक 02.02.2021 को प्रार्थना पत्रआदेश 1 नियम 10(2) एवं धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर प्रतिवादीया हरपालकौर द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि अपने भाई इकबाल सिंह को अंतरित किये जाने से प्रतिवादीया का नाम राजस्व रिकार्ड से हट जाने के कारण वाद से विलोपित किया गया। पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जो दिनांक 02.02.2021 को तस्दीक किया गया। प्रस्तुत राजीनामा में पक्षकारान ने निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के है जिसमें पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना व प्रेरणा से विवादित भूमि का पक्षकारान के कब्जा काशत, भूमि की किस्म इत्यादि अनुसार एवं बंटवारा में प्राप्त हिस्सा अनुसार निम्नानुसार बंटवारा राजीनामा करवाया गया हैं -

1. वादी सोहन सिंह को उसके 3.226है. भाग अनुसार चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 5-6-15-16 प्रत्येक 0.253है., 17 की 0.063है., 24-25 प्रत्येक 0.228है. कुल 1.531है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 3 की 0.073है. पूर्वी पासा, 8 की 0.073है. पूर्वी पासा, 13 की 0.073है. पूर्वी पासा, 18 की 0.073है. पूर्वी पासा, 23 की 0.126है. पूर्वी पासा, 4-7-14-17 व 24 प्रत्येक 0.253है., 22 की 0.012है. दक्षिणी पासा पत्थर लाईन पर कुल 1.695है. दोनों मुरब्बों की कुल 3.226है. कृषि भूमि खातेदारी
2. वादीगण रणवीर सिंह के 1.770 है. के स्थान पर भूमि की उपजाउपनता के मध्यनजर रणवीर सिंह को 1.155है., दलजीत कौर को 0.601है., प्रभाजोत सिंह 0.807है., गुरमीत सिंह 0.807है. व प्रदीप सिंह 0.537है. भूमि भाग अनुसार चक 22 पीएस के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.253है., 21 की 0.228है., 2 की 0.253 है., 9 की 0.063है. उत्तरी पासा कि.नं. 2 से चिपते कुल 1.556है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.144है. व 21 की 0.130है. प्रत्येक पश्चिमी पासा कुल 0.706है. व प.नं. 196/287 मु.नं. 12 के कि.नं. 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.253है., 18 व 23 प्रत्येक 0.253है., 13/2 की 0.127है. कुल 1.645 है. तीनों मुरब्बों की कुल 3.907है. कृषि भूमि खातेदारी
3. प्रतिवादीगण इकबाल सिंह को भूमि बंटवारा में कम उपजाउपनता के मध्यनजर इकबाल सिंह को 3.227है. के स्थान पर 3.242है. भूमि व सतविन्द्र सिंह को 2.530है. भाग अनुसार चक 22 पीएस के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 9 की 0.190है. (कि.नं. 12 से चिपते), 12-19 प्रत्येक 0.253है., 22 की 0.228है., 3, 8, 13, 18 प्रत्येक 0.253है., 23 की 0.228है., 4, 7, 14 प्रत्येक 0.253है., 17 की 0.190है. (कि.नं. 14 से चिपते) कुल 3.113है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.109है., 21 की 0.123है. प्रत्येक पूर्वी/दक्षिणी पासा, 2, 9, 12, 19 प्रत्येक 0.253है, 22 की 0.241है., 3, 8, 13, 18 प्रत्येक 0.180है. 23 की 0.127है. प्रत्येक पश्चिमी पासा कुल 2.659है. नहरी दानों मुरब्बा की कुल 5.772है. कृषि भूमि खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त बंटवारानुसार खाता विभाजन कर अभिलेखों में अमलदरामद करने सुताविक राजीनामा वद निर्णित व डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में वकील उभयपक्ष के निवेदन करने तथा विवादित भूमि पक्षकारान की खातेदारी होने एवं प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने एवं राजीनामा अनुसार ही खाता विभाजन किये जाने के निवेदन करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर सीधे बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि पक्षकारान की खातेदारी भूमि जिसका पक्षकारान आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करवा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादीगण राजीनामा आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं विवादित भूमि चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 117/103 में प.नं. 196/287 मु.नं. 11 की 5.060 है. नहरी मय खाला, प.नं. 197/287 मु.नं. 12 की 1.645 है. नहरी, प.नं. 199/287 मु.नं. 14 की 6.200 है. नहरी मय खाला कुल खाता योग 12.905 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि का पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाकर पक्षकारान को उनके नाम के आगे अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है—

1. वादी सोहन सिंह (3.226 है.) : चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 5-6-15-16 प्रत्येक 0.253 है., 17 की 0.063 है., 24-25 प्रत्येक 0.228 है. कुल 1.531 है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 3 की 0.073 है. पूर्वी पासा, 8 की 0.073 है. पूर्वी पासा, 13 की 0.073 है. पूर्वी पासा, 18 की 0.073 है. पूर्वी पासा, 23 की 0.126 है. पूर्वी पासा, 4-7-14-17 व 24 प्रत्येक 0.253 है., 22 की 0.012 है. दक्षिणी पासा पत्थर लाईन पर कुल 1.695 है. दोनों मुरबों की कुल 3.226 है. कृषि भूमि खातेदारी
2. वादीगण रणवीर सिंह (1.155 है.) दलजीत कौर (0.601 है.) प्रमजोत सिंह (0.807 है.) गुरमीत सिंह (0.807 है.) व प्रदीप सिंह (0.537 है.) : चक 22 पीएस के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.253 है., 21 की 0.228 है., 2 की 0.253 है., 9 की 0.063 है. उतरी पासा कि.नं. 2 से चिपते कुल 1.556 है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.144 है. व 21 की 0.130 है. प्रत्येक पश्चिमी पासा कुल 0.706 है. व प.नं. 196/287 मु.नं. 12 के कि.नं. 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.253 है., 18 व 23 प्रत्येक 0.253 है., 13/2 की 0.127 है. कुल 1.645 है. तीनों मुरबों की कुल 3.907 है. कृषि भूमि खातेदारी संयुक्त खाता मे
3. प्रतिवादीगण इकबाल सिंह (3.242 है.) सतविन्द्र सिंह (2.530 है.) : चक 22 पीएस के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 9 की 0.190 है. (कि.नं. 12 से चिपते), 12-19 प्रत्येक 0.253 है., 22 की 0.228 है., 3, 8, 13, 18 प्रत्येक 0.253 है., 23 की 0.228 है., 4, 7, 14 प्रत्येक 0.253 है., 17 की 0.190 है. (कि.नं. 14 से चिपते) कुल 3.113 है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.109 है., 21 की 0.123 है. प्रत्येक पूर्वी/दक्षिणी पासा, 2, 9, 12, 19 प्रत्येक 0.253 है, 22 की 0.241 है., 3, 8, 13, 18 प्रत्येक 0.180 है. 23 की 0.127 है. प्रत्येक पश्चिमी पासा कुल 2.659 है. नहरी दानों मुरब्बा की कुल 5.772 है. कृषि भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में

चूंकि भूमि बैंक के रहन दर्ज हैं, अतः निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने पर ही की जावे।

इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

—नापार

(अर्पिता सोनी)

उपस्थान अधिकारी
रायसिंहनगर

डिक्री व मुकदमें इत्यादाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्दा : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 84/2018

जीसीएमएस : 2018/00270

1. सोहनसिंह पुत्र निरजंन सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. रणवीरसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. प्रदीपसिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुरमीतसिंह पुत्र सतवंत सिंह } जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील
5. प्रभजोत सिंह पुत्र सतवंत सिंह } रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. दलजीत कौर पत्नी सतवंत सिंह } जरिये मुखत्यार आम रणवीरसिंह पुत्र सरवनसिंह
जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:वादीगण

बनाम

1. इकबालसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0 जरिए मुखत्यार आम रणवीर कौर पत्नी परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी कोटा राज0
2. हरपालकौर पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0(विलोपित)
3. सतविन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53-88-92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :-

दिनांक:-31.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता वादी, श्री जितेन्द्र सोनी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1-3, पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:- वादपत्र वादीगण राजीनामा आधार पर स्वीकार किया जाता हैं एवं विवादित भूमि चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 117/103 में प.नं. 196/287 मु.नं. 11 की 5.060है. नहरी मय खाला, प.नं. 197/287 मु.नं. 12 की 1.645है. नहरी, प.नं. 199/287 मु.नं. 14 की 6.200है. नहरी मय खाला कुल खाता योग 12.905है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि का पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाकर पक्षकारान को उनके नाम के आगे अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं-

1. वादी सोहन सिंह (3.226है.) : चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 5-6-15-16 प्रत्येक 0.253है., 17 की 0.063है., 24-25 प्रत्येक 0.228है. कुल 1.531है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 3 की 0.073है. पूर्वी पासा, 8 की 0.073है. पूर्वी पासा, 13 की 0.073है. पूर्वी पासा, 18 की 0.073है. पूर्वी पासा, 23 की 0.126है. पूर्वी पासा, 4-7-14-17 व 24 प्रत्येक 0.253है., 22 की 0.012है. दक्षिणी पासा पत्थर लाईन पर कुल 1.695है. दोनों मुरबों की कुल 3.226है. कृषि भूमि खातेदारी
2. वादीगण रणवीर सिंह (1.155है.) दलजीत कौर (0.601है.) प्रभजोत सिंह (0.807है.) गुरमीत सिंह (0.807है.) व प्रदीप सिंह (0.537है.) : चक 22 पीएस के प.नं. 199/287 मु.नं. 14 के कि.नं. 1, 10, 11,


उपखण्ड अधिकारी

20 प्रत्येक 0.253 है., 21 की 0.228 है., 2 की 0.253 है., 9 की 0.063 है. उत्तरी पासा कि.नं. 2 से चिपते कुल 1.556 है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.144 है. व 21 की 0.130 है. प्रत्येक पश्चिमी पासा कुल 0.706 है. व प.नं. 196/287 मु.नं. 12 के कि.नं. 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.253 है., 18 व 23 प्रत्येक 0.253 है., 13/2 की 0.127 है. कुल 1.645 हैं. तीनों मुरब्बों की कुल 3.907 है. कृषि भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में

3. प्रतिवादीगण इकबाल सिंह (3.242 है.) सतविन्द्र सिंह (2.530 है.) : चक 22 पीएस के प.नं. 199/287 मु. नं. 14 के कि.नं. 9 की 0.190 है. (कि.नं. 12 से चिपते), 12-19 प्रत्येक 0.253 है., 22 की 0.228 है., 3, 8, 13, 18 प्रत्येक 0.253 है., 23 की 0.228 है., 4, 7, 14 प्रत्येक 0.253 है., 17 की 0.190 है. (कि.नं. 14 से चिपते) कुल 3.113 है. नहरी व प.नं. 196/287 मु.नं. 11 के कि.नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक 0.109 है., 21 की 0.123 है. प्रत्येक पूर्वी/दक्षिणी पासा, 2, 9, 12, 19 प्रत्येक 0.253 है., 22 की 0.241 है., 3, 8, 13, 18 प्रत्येक 0.180 है. 23 की 0.127 है. प्रत्येक पश्चिमी पासा कुल 2.659 है. नहरी दानों मुरब्बा की कुल 5.772 है. कृषि भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में

जावे।

डिक्री आज दिनांक 31.03.2021 को जारी की गई।


(अर्पिता सोनी)
उपस्थान अधिकारी
रायसिंहमगर